न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2019/00193

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. सीता चौधरी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भोपालगढ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. अंजना शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार जाति ब्राहमण निवासी 619 आदर्श कॉलोनी अम्बेडकर सर्किल के पास बीकानेर हाल निवास मेडिने कारावन टॉवर 1 फ्लोर वेटनरी हॉस्पीटल के पास रातानाडा जोधपुर। 2. तहसीलदार भोपालगढ

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
4. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 10/01/22

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. की सरहद में भूमि खसरा नं. 622 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है तथा उक्त भूमि को आगे वाद में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. की सरहद में भूमि खसरा नं. 622/1 व 622/2 कुल रकबा 08 बीघा अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की थी तथा खसरा नं. 622/2 अप्रार्थी संख्या 01 ने कृषि भूमि का संपरिवर्तन करवा लिया गया है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 622 पर खसरा नं. 622/1 में से नजरिये नक्शा अनुसार 'अ ब स द' से होकर आता जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी को आने जाने हेतु एक लिखा पढी भी की है तथा प्रार्थी को आने जाने हेतु कभी भी मना नही करने को कहा लेकिन हाल ही में लोगों के बहकावा में आकर अप्रार्थी संख्या 01 ने नजरिये नक्शानुसार 'अ ब स द' पर से आने जाने से मना कर दिया था। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम भोपालगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 622 में आने जाने हेतु खसरा नं. 622/1 में से नजरिये नक्शा अनुसार 'अ ब स द' पर सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जावे तथा उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी आदेशानुसार शुल्क जमा करवाने के लिए तत्पर है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर [illegible] किया गया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि भू अ[illegible] नि[illegible] भोपालगढ़ एवं पटवारी भोपालगढ़ जेबी की मौका फर्द अनुसार एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार [illegible] रास्ता की चौडाई 17 फीट जो मौके पर चालू है एवं खातेदारी में रास्ते की चौडाई 13 फीट की [illegible] चालू है तथा रास्ते की लंबाई 73 फीट खातेदारी खसरा नं. 622/1 में आती है। अतः खसरा नं. 622/1 में से 13 फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

चौडाई X 73 फीट लंबाई में रास्ता घोषित किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका फर्द अनुसार राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. की सरहद में खसरा नं. 622/1 में से 13 फीट चौडाई X 73 फीट लंबाई में रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार भोपालगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते की भूमि में उपयोग आने वाली भूमि का नाप चौप कर नियमानुसार DLC दर की दुगुनी राशि को विधिक खातेदारों को भुगतान हेतु प्रार्थी से जरिये डीडी अथवा चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक कटानी रास्ता का अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपिमय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ़ को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

10/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 10/01/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

10/01/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:23 IST
Reason: SelfAttested